



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



सर्वोच्च प्राथमिकता/अत्यावश्यक

संख्या: 2900/भाविवि/ प0नि0का0/2025

दिनांक: 10 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति संख्या-2175/भाविवि/प0नि0का0/2025 दिनांक 27.09.2025, 2611/भाविवि/प0नि0का0/2025 दिनांक 17.10.2025 तथा 2685/भाविवि/प0नि0का0/2025 दिनांक 25.10.2025 के द्वारा छात्र-छात्राओं को सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 तक ही परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु समर्थ पोर्टल खुला रहेगा।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.10.2025 से दिनांक 30.10.2025 तक पोर्टल खुले रहने के बावजूद भी अधिकांश छात्र-छात्राओं द्वारा अपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गये थे। तत्पश्चात् विज्ञप्ति संख्या-2798/भाविवि/प0नि0का0/2025 दिनांक 31.10.2025 से 05.11.2025 तक पुनः परीक्षा फार्म भरने हेतु पोर्टल खोला गया था। इसके बावजूद भी कतिपय छात्र-छात्राओं द्वारा भी अपना परीक्षा फार्म नहीं भरा गया। छात्र-छात्राओं के इस लापरवाहीपूर्ण रवैये के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या-2830/ भाविवि/प0नि0का0/2025 दिनांक 03.11.2025 के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने की तिथि विलम्ब शुल्क रू0 500/- के साथ विस्तारित कर दिनांक 10.11.2025 निर्धारित कर दी किन्तु उक्त निर्धारित तिथि तक भी लगभग 350 छात्र-छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म नहीं भरा गया है जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा खेद जनक पाते हुए घोर आपत्ति व्यक्त की गयी है तथा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए रू0 2000/- विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की तिथि 15.11.2025 तक विस्तारित कर दी है।

अतः ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्होंने अभी तक भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये विलम्ब शुल्क रू0 2000/- के साथ दिनांक 15.11.2025 तक पोर्टल खोल दिया गया है। उक्त विस्तारित तिथि तक भी यदि किसी छात्र-छात्रा द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया जायेगा जिसके लिये छात्र-छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(विकास)
10.11.2025

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, शैक्षणिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/विषय प्रभारी/शिक्षकों को छात्र-छात्राओं की सूची इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं को सूचित करना सुनिश्चित करें।
5. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. मीडिया प्रभारी को इस आशय से कि छात्रहित में उक्त सूचना सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. समस्त सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक